

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]
No. 43]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 21, 1972 (आश्विन 29, 1994)

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 1972 (ASVINA 29, 1994)

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विभिन्न निकायों द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices
issued by Statutory Bodies

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

गेर बैंकिंग कंपनी विभाग

कलकत्ता-1, दिनांक 14 सितम्बर 1972

सं० डी० एन० बी० सी०-15/डी० जी०(एस०)-72—
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनहित के लिए यह आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को नियमित करने के प्रयोजन हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने निदेश सं० डी० एन० बी० सी०-2/ई० डी० (एस०)-66 तारीख 29 अक्टूबर 1966 में संशोधन करे, वह इसके जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45अ, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि उक्त निदेशों में नीचे निर्दिष्ट किये गये अनुसार आगे और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त निदेशों के पैराग्राफ 2 के उपपैराग्राफ (1) के खंड (अ) के उप-खंड (iv) के बाद निम्नलिखित उप खंड (iv) (क) सम्मिलित किया जाए।

“(iv) (क) किसी कम्पनी को किसी विस्तीय संस्था से निभाव प्राप्त होने तक उसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से निभाव के लिए प्राप्त राशि”

एस० एस० गिरालकर, उप गवर्नर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 19 सितम्बर 1972

सं० एस० बी० एस० नं० 9/1972—इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक्स) ऐक्ट 1959 (1959 का 38वां) की धारा 25, उप-धारा (1), खण्ड (ग) के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ विचार विमर्श करने के बाद श्रीमती ओम प्रभा जैन, द्वारा डा० के० सी० जैन, कुसुम रोड, दिल्ली, को श्री बी० के० मोहन के त्याग पत्र देने के कारण खाली हुई जगह पर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि के लिए—दिनांक 19 सितम्बर 1972 से 18 सितम्बर 1975 (दोनों दिन सम्मिलित) तक नियुक्त किया है।

आर० के० तलवार, चैयरमैन

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1972

सं० 5 सी० ए० (1)/17/72-73—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 सी० ए० (1)/13/61-62 दिनांक 2-1-1962 (2) 4 सी० ए० (1)/3/66-67 दिनांक 17-5-1966 एवं (3) 4 सी० ए० (1)/13/69-70 दिनांक 3-10-69 के सम्बन्ध में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के अधिनियम 17 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्न सदस्यों का नाम पुनः स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	5241 श्री एम० एस० जम्बू वैकटरामन् ए०सी०ए०व्यस्ट एन्ड क० (पी०) लि०, 13/15, नार्थ बीच रोड, मद्रास-1।	15-9-72
2.	6697 श्री वी० अरुमुगम, ए० सीनियर एकाउन्ट्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, तिरुचिरापल्ली।	7-9-72
3.	6261 श्री मु० मुनीरुद्दीन, ए०सी०ए०, एच० नं० 5-9-841, गनफाउन्ड्री, बिहाइन्ड रोजरी—कोनमैन्ट स्कूल, हैदराबाद (ए०पी०)।	5-9-72

दिनांक 21 सितम्बर 1972

सं० 8 सी० ए० (1)/7/72-73—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	8198 श्री के० एन० के० शिवाराव,— ए० सी० ए०, जूनियर आफिसर, आंध्र प्रदेश वित्त निगम, 5-9-194, चिरागअली लेन, हैदराबाद-1।	26-8-72 से 30-6-73
2.	13099 श्री के० एस० राम परमेश्वरन्, ए० सी० ए०, द्वारा श्री सी० पी० कृष्णानन्, विमलानन्द कोपीकार होल, ग्राउन्ड फ्लोर, टालमकी रोड, (आफ लिंकिंग रोड) सांता क्रुज (वेस्ट), बम्बई-54।	31-7-72 से 30-6-73

दिनांक 22 सितम्बर 1972

सं० 5 सी० ए० (1)/18/72-73—इस संस्थान की अधि-सूचना सं० 4 सी० ए० (1)/4/72-73 दिनांक 30-11-70

एवं 4 सी० ए० (1)/4/72-73 दिनांक 15-7-1972 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्न सदस्यों का नाम पुनः स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	10806 श्री नव ज्योत, ए० सी० ए०, 42, एल० भाडल टाउन, पानीपत (जि० करनाल)।	26-8-72
2.	10579 श्री टी० के० राघवन, ए० सी० ए०, 50, लिगी चेदटी स्ट्रीट, मद्रास-1।	21-9-72

(सी० बालकृष्णनम्)
सचिव

(बिदेशी व्यापार मंत्रालय)

वस्त्र-उद्योग समिति

बम्बई, दिनांक 25 सितम्बर 1972

सं० एस० ओ० वस्त्र—उद्योग समिति अधिनियम, 1963 ई० (1963 ई० का 41) की धारा 4 की उप-धारा (2) के उप-खंडों (ग) तथा (घ) के साथ पठित धारा 23 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र-उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊनी, ऊनी तागे का तथा मिश्रित ऊनी एवं ऊनी तागे का बना कपड़ा निरीक्षण विनियम, 1969 ई० में अधिकतर संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम ऊनी, ऊनी तागे का तथा मिश्रित ऊनी एवं ऊनी तागे का बना कपड़ा निरीक्षण (संशोधन) विनियम, 1972 ई० कहलाएं—

(2) ये शासकीय राजपत्र में उन्हें प्रकाशित करने के दिनांक से प्रवर्तमान होंगे।

2. ऊनी, ऊनी तागे का तथा मिश्रित ऊनी एवं ऊनी तागे का बना कपड़ा निरीक्षण विनियम, 1969 ई० के खंड (ग) के बाद निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

“(घ) इस बात को छोड़कर जहां के विस्तृत निरीक्षण के लिए चुने गए नमूने में उपयुक्त माल घटिया किस्म का घोषित किया गया है, यदि उक्त माल का सामान्य बनावट संतोषजनक नहीं है या यदि उक्त नमूने में बहुत से छोटे-छोटे दोष दिखाई पड़ने हैं जिनके कारण माल की बनावट में कमी मालूम पड़ती है।”

सी० जी० शिवदासानी,
कार्यकारी सचिव

कृषि पुनर्वित्त निगम

बम्बई, दिनांक 7 अक्टूबर 1972

सं० मे० क० 8780/8 (9)-72/3—कृषि पुनर्वित्त निगम सामान्य विनियमावली 1963 के नियम 29 के अनुसरण में इसके जरिये यह अधिसूचित किया जाता है कि 28 सितम्बर, 1972 को बम्बई में हुई निगम की नौवीं वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित उम्मीदवार निगम के निदेशक चुने गए हैं।

नाम और पता	किसके प्रतिनिधि हैं	नियुक्ति कैसे हुई है
1. श्री बी० एस० विश्वनाथन, अध्यक्ष मैसूर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, बंगलूर-18।	केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक	क० पु० नि० अधिनियम की धारा 10 (घ) के अधीन चुने गए हैं।
2. श्री एम० आर० पटेल, अध्यक्ष, गुजरात राज्य सहकारी बैंक लि० महकार भवन, रिलीफ रोड, अहमदाबाद।	राज्य सहकारी बैंक	क० पु० नि० अधिनियम की धारा 10 (ङ) के अधीन चुने गए हैं।
3. श्री टी० आर० वरदाचारी, प्रबन्ध निदेशक, स्टेट बैंक आफ इंडिया केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई-1	भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित बैंक, बीमा और निवेश कपनियां और ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाएँ जो निगम की शेयरधारी हैं।	क० पुन० नि० अधिनियम की धारा 10 (च) के अधीन चुने गए हैं।

के० माधव दास, प्रबन्ध निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Central Office

DEPARTMENT OF NON BANKING COMPANIES

Calcutta-1, 14th September, 1972

Ref. No. DNBC. 15/DG(S)-72.—The Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to modify its directions No. DNBC.2/ED(S)-66 dated 29th October 1966, hereby, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, and of all the powers enabling it in this behalf, directs that the said directions shall be further modified in the manner specified below, namely:—

In the said directions, in clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, after sub-clause (iv) the following sub-clause (iv)(a) shall be inserted.

“(iv)(a) Any money received by a company from the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 for providing accommodation to the company pending its receiving accommodation from a financial institution;”

S. S. SHIRALKAR
Deputy Governor

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Bombay, the 19, September 1972

SBS No. 9/1972.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the State Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Smt. Om Prabha Jain, C/o Dr.

K. C. Jain, Qutab Road, Delhi, as a Director of the State Bank of Patiala for a term of three years from the 19th September 1972 to the 18th September 1975 (inclusive) in the vacancy caused by the resignation of Shri B. K. Mohan.

R. K. TALWAR
Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS
OF INDIA

New Delhi, the 18th September 1972

No. 5-CA(1)/17/1972-73:—With reference to this Institute's Notifications (i) 4-CA(1)/13/61-62 dated 2-1-1972 (ii) 4-CA(1)/3/66-67 dated 17-5-1966 (iii) 4-CA(1)/13/69-70 dated 3-10-1969, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names the names of the following gentlemen:—

S. No.	Member ship No.	Name and Address	Date of Restoration
1.	5241	Shri M. S. Jambu Venkataraman, A.C.A., Best & Co. (P) Ltd., 13/15, North Beach Road, Madras-1.	15-9-1972
2.	6697	Shri V. Arunugam, A.C.A., Senior Accounts Officer, Bharat Heavy Electrical Ltd., Tiruchirapalli.	7-9-1972
3.	6261	Shri Mohammed Muniruddin, A.C.A. H. No. 5-9-841, Gunfoundry, Behind Rosary Convent School, Hyderabad (A.P.).	5-9-1972

New Delhi-1, the 21st September 1972

No. 8-CA(1)/7/72-73.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountant Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	Member-ship No.	Name and Address	Period during which the Certificate shall stand Cancelled.
1.	8198	Shri K.N.K. Siva Rao, A.C.A., Junior Officer, Andhra Pradesh Financial Corporation, 5-9-194, Chiragall Lane, Hyderabad-1.	28-8-1972 to 30-6-1973
2.	13099	Shri K.S. Ram Pureswaran, A.C.A., C/o Shri C.P. Krishnan, Vimalanand Koppikar Hall, Ground Floor, Talmaki Road, (Off Linking Road,) Santa Cruz West, Bombay-54.	31-7-1972 to 30-6-1973

The 22nd September 1972

No. 5-CA(1)/18/72-73.—With reference to this Institute's Notifications (1) 4-CA(1)/15/70-71 dated 30-11-1970 (ii) 4-CA(1)/4/72-73 dated 15-7-1972, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names the names of the following gentlemen:—

S. No.	Member-ship No.	Name and Address	Date of Restoration
1.	10806	Shri Nav Jyot, A.C.A., 42-L, Model Town, Panipat, Distt: Karnal	26-8-1972
2.	10579	Shri T.K. Raghavan, A.C.A., 50, Linghi Chetty Street, Madras-1.	21-9-1972

C. BALAKRISHNAN, Secy.

TEXTILE COMMITTEE

(Ministry of Foreign Trade)

Bombay, the 25th September 1972

S.O.—In exercise of the powers conferred on it under section 23, read with sub-clause (c) and (d) of sub-section (2) of section 4, of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Textiles Committee, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend

the Woollen, Worsted and Mixed Woollen and Worsted Fabrics Inspection Regulations, 1969, namely:—

- (1) These regulations may be called the **Woollen, worsted and Mixed Woollen and Worsted Fabrics Inspection (Amendment) Regulations, 1972.**
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In regulation 7 of the **Woollen, Worsted and Mixed Woollen and Worsted Fabrics Inspection Regulations, 1969**, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

“(d) Except where the material used in the sample selected for detailed inspection is declared to be shoddy, if the general appearance of the said material is not satisfactory or if too many minor flaws are noticed in the said sample so as to render the material poor in appearance.”

C. K. SHIVDASANI
Acting Secretary

CORRIGENDUM

Bombay-18, the 29th September 1972

S.O.—In the Textiles Committee's Notification relating to the Man made Fibre Fabrics Inspection Regulations, 1972 published in the Gazette of India, Part III, Section 4 dated the 12th August 1972, pages 1293 to 1296, the following corrections shall be made:—

- (1) Page No. 1993:—The words “2. Offering of material for inspection” appearing in the 7th line of the Regulation 2 (e) (ii) shall be omitted.
- (2) Page No. 1294:—The word “of” appearing after the word ‘standards’ in the 4th line of the Regulation 4 (d), may be substituted by the word “for”.
- (3) Page No. 1294:—The figure “IS.244” appearing in the 2nd line of Regulation 4 (d) (i), may be corrected to read as “IS.2454”
- (4) Page No. 1294:—The figure “687-1958” appearing in the 2nd line of Regulation 4 (d) (ii), may be corrected to read as “687-1956”
- (5) Page No. 1294:—The first word “Viscose” in Regulation 8 (a) (ii), may be corrected to read as “Viscose” and all the — signs appearing on the other side of Regulations 8 (a) (ii), (iii), (v) and (vi) should come under the + signs.
- (6) Page No. 1294:—+5% sign appearing in Regulations 8 (b) and 8 (c) may be corrected to read as $\pm 5\%$
- (7) Page No. 1295:—The word “Certifrate” appearing in the 4th line of the Regulations 11, may be corrected to read as “Certificate”.

C. G. SHIVDASANI
Secretary

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

Bombay, the 7th October 1972

No. Sec. 8780/8(9)-72/3—In pursuance of Regulation 29 of the Agricultural Refinance Corporation General Regulations 1963 it is hereby notified that the following candidates were elected as Directors of the Corporation at the Ninth Annual General Meeting of the Corporation held in Bombay on 28 September, 1972.

Name and Address	Representing	How appointed
(1) Shri B.S. Vishwanathan, President, Mysore State Co-operative Land Development Bank Ltd. Bangalore-18.	Central Co-operative Land Mortgage Banks,	Elected under Section 10(d) of the ARC Act.
(2) Snri M.R. Patel, Charirman, Gujarat State Co-operative Bank Ltd, Sahakar Bhavan, Relief Road, Ahmedabad	State Co-operative Banks	Elected under Section 10(e) of the ARC Act.
(3) Shri T.R. Varadachary, Managing Director, State Bank of India Central Office, Bombay-1.	Life Insurance Corporation of India, Scheduled Banks, Insurance and Investment Companies and other financial institutions which are shareholders of the Corporation.	Elected under Section 10(f) of the ARC Act.

K. MADHAVA DAS, *Managing Director*

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Regional Office (Tamil-Nadu)

Madras-34, the 27th September 1972

No. TNR/CO-3(18)/70.—It is hereby notified that Shri S. Mylappan, Assistant Spinning Master, The South India Co-operative Spinning Mills, Pettai, is nominated as a member of the Local Committee, Tirunelveli under Regulation 10 A (1) (d) of E.S.I. (General) Regulations, 1950 in the place of Shri K. Manickavasagam.

The following amendment shall accordingly be made to this office notification of even number dated 17-11-1971

namely for the existing name against Sl. No. 7, the following shall be substituted :—

Sl. No. 7 "Shri S. Mylappan,
Assistant Spinning Master,
The South India Co-operative Spinning
Mills,
Pettai, Tirunelveli District.

(BY ORDER)

B. R. MADAN

*Regional Director & Ex-Officio Member-Secretary,
Regional Board, E.S.I.C., Tamil Nadu.*

